

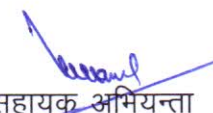
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कुनीगाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 1.350 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


अधिषासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार
चौखुटिया (अल्मोड़ा)


उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
चौखुटिया (अल्मोड़ा)

प्रति हस्ताक्षरित


जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रति हस्ताक्षरित

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी


अनुभागीय अधिकारी
जोरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)


वन क्षेत्राधिकारी,
जोरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


उपप्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रति हस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा